



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/ 443 -:: अधिसूचना ::-

दिनांक :- 20/6/11

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 की विभिन्न उपधाराओं (20(1) से चौबीस तक) के प्रावधानान्तर्गत सभा का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

समूह-“क”

धारा 20 (1) (एक)

श्री. राजेश राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन,
श्री ओमप्रकाश कोहली,
कुलाधिपति, (प्रभारी)
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

धारा 20 (1) (दो)

02. डॉ. एस.एस. पाण्डेय
कुलपति,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

धारा 20 (1) (दो-क)

03. रिक्त
कुलाधिसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

धारा 20 (1) (तीन)

04. संकायाध्यक्ष व्यवसाय प्रबंध संकाय	डॉ. रविन्द्र जैन, आचार्य,	04 अक्टू. 2017 तक
05. संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय	डॉ. बी.के. मेहता, आचार्य	25 अप्रैल 2018 तक
06. संकायाध्यक्ष जीव विज्ञान संकाय	डॉ. एच.एस. राठौर, आचार्य	07 अगस्त 2018 तक
07. संकायाध्यक्ष आयुर्वेद संकाय	डॉ. ओमप्रकाश व्यास, आचार्य	13 सितम्बर 2018 तक
08. संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय	रिक्त	
09. संकायाध्यक्ष कला संकाय	रिक्त	
10. संकायाध्यक्ष सूचना एवं प्रौद्योगिकी संकाय	रिक्त	
11. संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय	रिक्त	
12. संकायाध्यक्ष गृह विज्ञान संकाय	रिक्त	
13. संकायाध्यक्ष विधि संकाय	रिक्त	
14. संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय	रिक्त	

धारा 20 (1) (तीन-क)

15. डॉ. राकेश ढण्ड, संकायाध्यक्ष
विद्यार्थी कल्याण विभाग,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

धारा 20 (1) (तीन-ख)

16. प्रो. के. एन. सिंह, निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद्,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

धारा 20 (1) (चार)

17. सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल।

धारा 20 (1) (पांच)

18. आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल।

धारा 20 (1) (छ)

19. संचालक
लोकशिक्षण, मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल।

धारा 20 (1) (सात)

20. संचालक
तकनिकी शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल।

धारा 20 (1) (आठ)

21. सभापति
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
भोपाल।
धारा 20 (1) (नौ)
श्रीमती मीना विजय जौनवाल
महापौर
नगर पालिका निगम, उज्जैन।

समूह-“अ”

- धारा 20 (1) (दस) रिक्त (निर्वाचन द्वारा)
“तीन पुरुष प्राचार्य”
“एक महिला प्राचार्य”
“कुल-चार प्राचार्य”

23.

24.

25.

26.

- धारा 20 (1) (ग्यारह) रिक्त (निर्वाचन द्वारा)

“विश्वविद्यालयीन तीन आचार्य”

27.

28.

29.

- धारा 20 (1) (बारह) रिक्त (निर्वाचन द्वारा)

“महाविद्यालयीन से दो आचार्य”

30.

31.

- धारा 20 (1) (तेरह) रिक्त (निर्वाचन द्वारा)

“अध्यापन विभागों के उपाचार्य/प्राध्यापक में से दो एवं महाविद्यालय से तीन सहायक प्राध्यापक”

32.

33.

34.

35.

36.

धारा 20 (1) (चौदह एवं पन्द्रह)

11311

“लोप किया गया”

(समूह -ग)

धारा 20 (1) (सौलह)

(कुलाधिपति जी द्वारा चयन किया जावेगा)

“विद्वत वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति”

37.

38.

धारा 20 (1) (सत्रह)

(कुलाधिपति जी द्वारा चयन किया जावेगा)

“कृषि, कृषि, श्रम और वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति”

41. रिक्त

42. रिक्त

धारा 20 (1) (अठारह)

(राज्य विधान सभा द्वारा चयन किया जावेगा)

“राज्य विधान सभा के आठ सदस्य”

43. श्री जसवंतसिंह हाड़ा

44. श्री दिलीपसिंह शेखावत

45. श्री मुरलीधर पाटीदार

46. डॉ. मोहन यादव

47. श्री यशपालसिंह सिसोदिया

48. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

49. श्री परमेश्वर दोगने

50. श्री मनोहरसिंह डंग

धारा 20 (1) (उन्नीस)

(निर्वाचन द्वारा)

“विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से पांच प्रतिनिधि”

51. रिक्त

52. रिक्त

53. रिक्त

54. रिक्त

55. रिक्त

धारा 20 (1) (बीस)

“विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये का अधिक संदान करने वाला प्रदेयक दाता”

56.

धारा 20 (1) (बीस-क)

(निर्वाचन द्वारा)

“विश्वविद्यालय का वैतनिक अध्यापकेत्तर एक कर्मचारी”

57. रिक्त

(समूह - “घ”)

धारा 20 (1) (इक्कीस)

(निर्वाचन द्वारा)

“अध्ययन बोर्डों के विद्यार्थी सदस्यों में से तीन”

58. रिक्त

59. रिक्त

60. रिक्त

धारा 20 (1) (बाईस)

(निर्वाचन द्वारा)

“दो छत्र खिलाड़ी”

61. रिक्त

62. रिक्त

धारा 20 (1) (तैईस)

(निर्वाचन द्वारा)

“दो छात्र अध्यक्ष”

63. रिक्त

64. रिक्त


(समूह - “ड.”)

धारा 20 (1) (चौबीस)

“अध्यक्षपरिषद् के सदस्य”


65. डॉ. नागेश शिन्दे, आचार्य, 29 अप्रैल 2018 तक
सतत शिक्षा अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
66. डॉ. एच.पी. सिंह, आचार्य, 09 जनवरी 2020 तक
शांतिस्थली अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
67. डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा कोळरी, प्राचार्या 23 अप्रैल 2018 तक
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा।
68. डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी इन्ना, प्राचार्या 23 अप्रैल 2018 तक
शा.कल्या महाविद्यालय, रतलाम।
69. सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि
70. संसुक्त संचालक,
कीष एवं लेखा, उज्जैन।
71. डॉ. आशुतोष दवे 03 अप्रैल 2020 तक
एच.आई.जी.-02
पीपल्स सेंटर एजुकेशन,
भाबडूर-भोपाल(म.प्र.)
72. पो.डॉ. राजाराम यादव, 03 अप्रैल 2020 तक
भौतिकी विभाग, (यू.जी.सी. सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद(उ.प्र.)
73. श्री सुनील कुमार 11 जून 2020 तक
भवानी प्रसाद महाविद्यालय,
कटकी रोड, सिहोरा, जबलपुर(म.प्र.)
74. श्री सुरेन्द्र गांधी 11 जून 2020 तक
डी-1/50, दानिश नगर,
होशंगाबाद रोड, भोपाल(म.प्र.)

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. समस्त संबंधित/मनोनित सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
04. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


उपकुलसचिव (अकादमिक)